(वाद सं0–583/4/4/2019)

20.04.2022

कुल पांच परिवादीगण में से दो परिवादी, गणेश प्रसाद यादव एवं सुधा कुमारी, उपस्थित है।

उन दोनों की ओर से अपना वर्त्तमान पता समर्पित किया गया। इसे संचिका के साथ संलग्न कर दें।

परिवादीगण को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, जनता उच्च विद्यालय, सादपुर, साहेबपुर कमाल (बेगूसराय) के प्रधानाध्यापक, नारायण यादव द्वारा अनुदान की राशि का गबन करने से संबंधित है।

परिवादीगण का कथन है कि वर्ष 2009 से 2012 तक उक्त विद्यालय को 27,32,400/–रुपये अनुदान प्राप्त हुआ था। परिवादीगण उक्त विद्यालय के शिक्षकगण है। जब उनके द्वारा प्राप्त अनुदान राशि में से अपने हिस्से की राशि की मांग प्रधानाध्यापक से की गयी तो उन्होनें उनके साथ बुरा–भला सलूक किया तथा अनुदान की राशि में से उनके हिस्से को उन्हें देने से मना कर दिया। जबकि परिवादीगण वर्ष 1999 एवं 2008 के बीच नियुक्त हुए थे तथा नियमित रूप से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते थे।

उपरोक्त पर जिला पदाधिकारी, बेगूसराय से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्निनत जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय के प्रतिवेदनानुसार परिवादीगण की नियुक्ति विद्यालय प्रबंध कार्यकारिणी समिति के द्वारा की गयी थी। नियुक्ति के बाद परिवादी, गणेश प्रसाद यादव व अन्य तीन शिक्षकों को प्रबंध कार्यकारिणी समिति द्वारा इन्हें विद्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण सख्त हिदायत दी गयी। बाद में विद्यालय प्रबंध कार्यकारिणी समिति की दिनांक–23.06.2018 की बैठक में परिवादी, गणेश प्रसाद यादव एवं अन्य तीन शिक्षकों को अनुशासनहीनता के आरोप में पदच्युत कर दिया गया। प्रतिवेदनानुसार अनुदानित महाविद्यालयों, उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक (अल्पसंख्यक

सहित) में विवाद के निराकरण हेतु दिनांक–19.05.2018 से बिहार अनुदानित शिक्षण संस्थान प्राधिकार का गठन किया गया है जहां उक्त अनुदानित शिक्षण संस्थान के शिक्षक/शिक्षिकेत्तर कर्मचारियों की सेवा शर्त से संबंधित सभी विषय और इससे जुड़े अन्य सभी प्रकार के विवाद सुलझाने की शक्ति इस संस्थान/प्राधिकार में निहित है।

अब, जबकि परिवादीगण के परिवाद पत्र में उल्लिखित समस्या के सम्यक् निराकरण हेतु बिहार अनुदानित शिक्षण संस्थान प्राधिकार में शक्ति निहित है तो ऐसी परिस्थिति में परिवादीगण को सलाह दी जाती है कि वह अपनी समस्या की समाधान हेतु उक्त प्राधिकार के समक्ष विधिनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष हेतु याचना कर सकते हैं।

राज्य आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, बेगूसराय से प्राप्त प्रतिवेदन (पृ0–122–96/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादीगण को आज दाखिल उनके पते (पृ0–145/प0) पर सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

निबंधक